


### आदेश

विभागीय आदेश संख्या-6169 दिनांक-23.12.2015 द्वारा कौशल किशोर त्रिपाठी तत्कालीन मोटर यान निरीक्षक, कटिहार को विशेष न्यायालय-1 निगरानी, पटना द्वारा दिनांक-01.12.2016 को जमानत पर रिहा कर दिये जाने तथा उक्त तिथि को योगदान दिये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9.3(1) के अन्तर्गत उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया गया। उनका योगदान दिनांक-01.12.2016 से स्वीकार किया जाता है।

2. श्री त्रिपाठी को मोटर यान निरीक्षक, बांका के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
3. श्री त्रिपाठी को यह निदेश दिया जाता है कि वे मोटर यान निरीक्षक, बांका के पद पर अविलंब योगदान करें।
4. श्री त्रिपाठी के निलंबन अवधि के संबंध में निर्णय उनके विरुद्ध संश्लिष्ट विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के उपरांत किया जाएगा।

राज्य परिवहन आयुक्त  
बिहार, पटना।

झापांक-05/स्था0 (आरोप) 10/2016 परि0 125 पटना, दिनांक 13/11/17  
प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, बांका/ जिला परिवहन पदाधिकारी, बांका/जिला कोषागार पदाधिकारी, बांका/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव, श्री कौशल किशोर त्रिपाठी, मोटर यान निरीक्षक (निलंबित-निलंबन अवधि का मुख्यालय-क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया) तथा श्री राकेश रजन, मोटर यान निरीक्षक, बांका को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
राज्य परिवहन आयुक्त  
बिहार, पटना।

ई-मेल/निबंधित

Email